न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
26 / 2022	23.02.2022	05.04.2022

अनवान

1. रामेश्वरलाल पिता हेमराज जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
2. कान्तादेवी पुत्री हेमराज जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. गुड्डी पुत्री मदनलाल जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
4. चन्दाबाई पुत्री हेमराज जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
5. चुन्नीबाई पत्नी मदनलाल जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
6. दिनेशचन्द्र पिता हेमराज जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
7. बालीबाई पुत्री हेमराज जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
8. श्यामलाल पिता हेमराज जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
9. सन्तोषबाई पत्नी हेमराज जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
10. कन्हैयालाल पिता कैलाशचन्द्र जाति ब्राहम्मण आयु नाबालिग बविलायत माता रतनी विधवा कैलाशचन्द्र ब्राहम्मण निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
11. गोटीया पुत्री कैलाशचन्द्र जाति ब्राहम्मण आयु नाबालिग बविलायत माता रतनी विधवा कैलाशचन्द्र ब्राहम्मण निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)
12. शिवानी पुत्री कैलाशचन्द्र जाति ब्राहम्मण आयु नाबालिग बविलायत माता रतनी विधवा कैलाशचन्द्र ब्राहम्मण निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज०)
13. रतनीबाई विधवा कैलाशचन्द्र जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
14. राधाबाई पत्नी श्यामलाल जाति ब्राहम्मण आयु बालिग निवासी तुरकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:21:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथू पिता जीतू जाति जाट आयु बालिग निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. मेताबीबाई पत्नी जीतू जाति जाट आयु बालिग निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
3. रतनलाल पिता मोहनलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
4. पन्नालाल पिता हजारी जाति जाट आयु बालिग निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
5. भैरूलाल पिता जयराम जाति चमार आयु बालिग निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
6. ओमप्रकाश पिता गोवर्धनलाल जाति नामधर आयु बालिग निवासी सौमानिया मौहल्ला, कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
7. रतनलाल पिता सवाईराम जाति चमार आयु बालिग निवासी कान्याखेडा, मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
8. भैरूलाल पिता केला जाति चमार आयु बालिग निवासी कान्याखेडा, मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
9. माधुलाल पिता भवानराम जाति चमार आयु बालिग निवासी कान्याखेडा, मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
10. शंकरलाल पिता चुन्ना जाति चमार आयु बालिग निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
11. उदयराम पिता छोगा जाति चमार आयु बालिग निवासी मोतीखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम नाथ योगी — प्रार्थीगण
एक तरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 5 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 305, 370, 371 कुल किता 3 कुल रकबा 2.20 है0 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, [illegible]र्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी[illegible] आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के का[illegible]र्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार [illegible]ती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णि[illegible] भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 05.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 11 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। पूर्व में दिनांक 29.03.2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:21:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 6 ओमप्रकाश द्वारा आपत्ति एतराज पत्थरगढी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी ने पूर्ण पडोसी पक्षकार संयोजित नही किये है, अतः पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। जिसका जवाब वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 6 पडोसी होकर उसकी आराजीयात का स्वयं काश्त करता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई पडोसी पक्षकार नही है, अतः उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 6 हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। उक्त आपत्ति ऐतराज प्रार्थना पत्र पर बहस एकतरफा सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में पक्षकार सही रूप से संयोजित किये जाकर ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। हमने बहस एकतरफा सुनी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अतः उक्त आपत्ति एतराज पत्र खारिज किया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का हिंगोरिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 5 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 305, 370, 371 कुल किता 3 कुल रकबा 2.20 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार [illegible] को तहरीर जारी करे।
पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर [illegible] आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.13 14:21:01 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official